भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1440
उत्तर देने की तारीख 12 फरवरी, 2021
शुक्रवार, 23 माघ, 1942 (शक)

कौशल विकास केंद्र खोला जाना

1440 श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी राज्यों में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें खोलने के लिए तय मानक क्या हैं और तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ग) देश में खोले गए कौशल केंद्रों में छात्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) अभी तक इस योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को रोजगार मिला है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राज कुमार सिंह)

(क) और (ख) कौशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, 4 से अधिक स्टार रेटिंग वाले प्रत्यायित और सम्बद्ध प्रशिक्षण केंद्र पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत सूचीबद्ध किए जाने के पात्र हैं। प्रशिक्षण केंद्र के प्रत्यायन की प्रक्रिया के तहत, निर्धारित दिशा

निर्देशों के अनुसार व्यापक पैरामीटर अर्थात् प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का क्षेत्र, प्रशिक्षण साधनों/उपकरणों, परामर्शदाता, सुरक्षा उपाय, एईबीएएस सुविधा, आदि को पूरा किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) की स्कीम को देश में अपने संस्थागत ढांचे के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गैर/नव साक्षर के व्यावसायिक कौशल और तकनीकी ज्ञान में सुधार करना है। नए जेएसएस को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफ़पी) तंत्र के माध्यम से सूचीबद्ध किया जा रहा है।

उपर्युक्त अल्पावधि प्रशिक्षण के अलावा, उद्योग को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने के साथ-साथ युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एमएसडीई के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

पीएमकेवीवाई 2.0, जेएसएस और आईटीआई के तहत सूचीबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग) पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के तहत, 19.01.2021 तक, 46.27 लाख उम्मीदवारों को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया है और 60.68 लाख उम्मीदवारों को पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत उन्मुख किया गया है। जेएसएस के तहत 2018 से अब तक लगभग 6.3 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आईटीआई के तहत पिछले पांच वर्षों में 72.49 लाख उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है।

(घ) पीएमकेवीवाई (2016-20) के नियोजन सम्बद्ध अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत, 19.01.2021 तक, 36.4 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है; जिनमें से 18.95 लाख उम्मीदवारों को देश भर में नियोजित किया गया है।

अनुबंध

पीएमकेवीवाई 2.0 के अंतर्गत, सूचीबद्ध टीसी, जेएसएस और आईटीआई की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	पीएमकेवीवाई 2.0 के अंतर्गत सूचीबद्ध टीसी की संख्या	जेएसएस	आईटीआई
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12	0	4
2.	आंध्र प्रदेश	530	7	509
3.	अरुणाचल प्रदेश	103	1	5
4.	असम	396	5	36
5.	बिहार	485	13	1231
6.	चंडीगढ़	55	1	2
7.	छत्तीसगढ	172	7	228
8.	दिल्ली	383	3	52
9.	गोवा	25	1	13
10.	गुजरात	423	11	500
11.	हरियाणा	1,080	5	397
12.	हिमाचल प्रदेश	323	1	268
13.	जम्मू और कश्मीर	378	2	50
14.	झारखंड	224	4	323
15.	कर्नाटक	279	9	1498
16.	केरल	328	9	462
17.	लद्दाख	8	0	0*
18.	लक्षद्वीप	1	0	1
19.	मध्य प्रदेश	1,116	33	1067
20.	महाराष्ट्र	889	21	990
21.	मणिपुर	131	3	1
22.	मेघालय	77	0	6
23.	मिजोरम	78	0	3
24.	नगालैंड	72	1	8
25.	ओडिशा	391	17	502
26.	पुदुचेरी	50	0	14
27.	पंजाब	811	2	352
28.	राजस्थान	1,406	7	1792
29.	सिक्किम	35	0	3
30.	तमिलनाडु	1,081	9	493
31.	तेलंगाना	485	7	292
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	18	1	3
33.	त्रिपुरा	174	1	21
34.	उत्तर प्रदेश	2,265	53	3202
35.	उत्तराखंड	377	6	189
36.	पश्चिम बंगाल	463	8	262
योग		**15,124**	**248**	**14779**

[*जम्मू और कश्मीर में शामिल आईटीआई]

****